न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 568 सन 2021

अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र बेगाराम जाति जाट साकिन नोहर हाल निवास चक 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सीतादेवी पत्नी बेगाराम जाति जाट साकिन नोहर हाल निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. शंकरलाल पुत्र बेगाराम जाति जाट साकिन नोहर हाल निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सन्तोष पुत्री बेगाराम पत्नी रोहताश जाति जाट साकिन हाल आवाद मेहराना तहसील सिरसा जिला सिरसा
4. सावित्री पुत्री बेगाराम पत्नी विनोद कुमार जाति जाट साकिन हाल आबाद नहराना तहसील सिरसा जिला सिरसा
5. शारदा पुत्री बेगाराम पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन सिद्वार्थ कॉलोनी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 04/02/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 133/133 की कुल 18.4690हैक में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता बेगाराम पुत्र रामुराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बेगाराम वल्द रामुराम के नाम से दर्ज है बेगाराम पुत्र रामुराम जाति जाट साकिन नोहर हाल निवासी चक 23 एनटीआर पिछले सात सालों से ज्यादा अर्सा से लापता हो गया है तथा उसका भाई– बन्धु रिश्तेदारी में व पवित्र तीर्थ स्थलों पर खोज की गयी किन्तु बेगाराम पुत्र रामुराम की मौजुदगी का कोई अता पता नही चला है।

बेगाराम पुत्र रामुराम जाति जाट साकिन नोहर जोधपुर जाने का कह कर गये थे जो आज तक वापिस घर नही लोटने पर गुमशद्वा की रिपोर्ट भी पुलिस थाना नोहर में दिनांक 08.06.2014 को वादी की तरफ से करवाई गई थी किसी प्रकार को अता पता नही चला है।

यदि किसी व्यक्ति का साल सालो तक कोई अता पता नही होता तो यह माना जा सकता है कि व्यक्ति की सिविल डेथ हो चुकी है

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें बेगाराम पुत्र रामुराम का 1/ हिस्सा है बेगाराम पुत्र रामुराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो बेगाराम पुत्र रामुमरा के नाम दर्ज भूमि को बहिब पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 6 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की बेगाराम पुत्र रामुराम जाति जाट साकिन नोहर हाल चक 23 एनटीआर के नाम दर्ज भूमि के वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की उनके पुर्वज बेगाराम पुत्र रामुराम गत/पिछले सात सालों से कोई अता पता नही है ना ही किसी प्रकार की कोई खोज खबर है बेगाराम पुत्र रामुराम जोधपुर जाने का कह कर गये थे जो आज तक वापस नही आये है बेगाराम के पुत्र वादी ने बेगाराम पुत्र रामुराम की गुमशुद्वा रिपोर्ट भी पुलिस थाना नोहर में दर्ज करवाई गई थी फिर भी आज दिनांक तक कोई अता पता नही चला है अर्थात बेगाराम पुत्र रामुराम की सिविल डेथ हो चुकी है। बेगाराम पुत्र रामुराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो बेगाराम पुत्र रामुराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी ने बेगाराम पुत्र रामुराम के लापता होने के सम्बध में साक्ष्य के तौर पर ग्राम पंचायत 22 एनटीआर की तस्दीक एवं गांव के मौजीज व्यक्तियो के शपथ पत्र पेश किये गये जिसके अनुसार बेगाराम पुत्र रामुराम का आज तक कोई अता पता नही है अर्थात सिविल डेथ हो चुकी है अर्थात बेगाराम की सिविल डैथ हो चुकी है बेगाराम के नाम से दर्ज भूमि उनके पिता के देहान्त होने पर विरास्तन से उसके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है। जो शामिल मिसाल किया गया।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर वादी के वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 133/133 की कुल 18.4690हैक में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता बेगाराम पुत्र रामुराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बेगाराम वल्द रामुराम के नाम से दर्ज है बेगाराम पुत्र रामुराम जाति जाट साकिन नोहर हाल निवासी चक 23 एनटीआर पिछले सात सालों से ज्यादा अर्सा से लापता हो गया है तथा उसका भाई– बन्धु रिश्तेदारी में व पवित्र तीर्थ स्थलों पर खोज की गयी किन्तु बेगाराम पुत्र रामुराम की मौजुदगी का कोई अता पता नही चला है।

बेगाराम पुत्र रामुराम जाति जाट साकिन नोहर जोधपुर जाने का कह कर गये थे जो आज तक वापिस घर नही लोटने पर गुमशद्वा की रिपोर्ट भी पुलिस थाना नोहर में दिनांक 08.06.2014 को वादी की तरफ से करवाई गई थी किसी प्रकार को अता पता नही चला है।

यदि किसी व्यक्ति का साल सालो तक कोई अता पता नही होता तो यह माना जा सकता है कि व्यक्ति की सिविल डेथ हो चुकी है

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें बेगाराम पुत्र रामुराम का 1/ हिस्सा है बेगाराम पुत्र रामुराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो बेगाराम पुत्र रामुमरा के नाम दर्ज भूमि को बहिब पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत एवं एआई आर 1967 साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा 107 ,108 पेज 6–8 पेश कर निवेदन किया की लापता/गायब जिसका कोई अता पता ना हो को साक्ष्यों के आधार पर मृतक माना जाकर जायज वारिसान सम्पति पाने के अधिकारी होगे एवं कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 133/133 की कुल 18.4690हैक में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता बेगाराम पुत्र रामुराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि उसके पिता बेगाराम वल्द रामुराम आज से सात साल पूर्व घर से निकले थे जो आज तक काफी खोजबीन करने पुलिस थाना में गुमशुद्वी दर्ज करवाने के उपरान्त भी कोई अता पता नही चला है अर्थात उसके पिता बेगाराम की मृत्यू (सिविल डैथ) हो चुकी है इसलिये उसके पिता के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ही हकदार है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद का कथन स्वीकार है क्योकि उसके पति/पिता बेगाराम घर से निकलने के बाद आज तक किसी भी व्यक्ति रिश्तेदार ने नही देखा है गुमशुदगी दर्ज करवाने के उपरान्त भी कोई अता पता नही चला है अर्थात उसके पति/पिता की सिविल डैथ होना स्वीकार है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी व्यक्ति का सात सालों तक तालाश /गुमशुद्वी दर्ज करवाने के उपरान्त भी कोई जानकारी नही हो तो उसकी सिविल डैथ होनी मानी जा सकती है हस्तगत प्रकरण में भी बेगाराम का भी पिछले सात सालो से कोई अता पता /जानकारी व गुमशुद्वगी दर्ज करवाने के उपरान्त भी कोई जानकारी प्राप्त नही होना सिविल डैथ की परिभाषा में आती है वादी ने बेगाराम के लापता होने के सम्बध में गांव के मौजिज व्यक्तियों के ब्यान भी करवाये गये है तथा सरपंच की तस्दीक भी पेश की गई जिसके अनुसार बेगाराम का काई अता पता नही है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 ,108 के अनुसार प्रस्तुत साक्ष्यो के आधार पर बेगाराम की सिविल डैथ मानी जा सकती है।

बेगाराम पुत्र रामुराम के नाम से दर्ज भूमि उसके पिता रामुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से बेगाराम पुत्र रामुराम के नाम से दर्ज हुई है अर्थात पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक सम्पति जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का बेगाराम के साथ बराबर का हक हिस्सा है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बेगाराम के जीवनकाल में भी पाने का अधिकारी है उक्त कथनों को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जो बेगाराम के वारिसान एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो बेगाराम की पत्नि है ने स्वीकार किया जाकर इकबाल दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है।

बेगाराम पुत्र रामुराम के सिविल डैथ मानी जाने पर वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है यदि बेगाराम जीवित होता तो उसकी पत्नि किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही होती सिविल डैथ माने जाने पर बेगाराम के हक हिस्सा की भूमि उसकी पत्नि को प्राप्त हो रहा है। बेगाराम पुत्र रामुराम को मान भी लिया जावे की वह कभी वापस आ सकता है तो उसके हक हिस्सा को सुरक्षित रखने के लिये उसकी पत्नि को प्राप्त होने वाली भूमि आगामी तीन वर्षो तक बैय नही करने हेतु पाबन्द

उपखण्ड अधिकारी
बोहर

Scanned with CamScanner

किया जा सकता है वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को उसके हकों से महरूम किया जाना न्यायोचित नही है।

उक्त कथनों के सम्बध में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को भी किसी प्रकार का ऐतराज नही है बल्की सहमति पेश की गई है।वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायिक दृष्टान्त एआईआर 1967 एव साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 ,108 प्रकरण पर चस्पा होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 ,108 के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 133/133 की कुल 18.4690हैक में से 1/5 हिस्सा भूमि बेगाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपने हक हिस्सा की भूमि को आगामी 3 वर्षो तक बेचान नही करेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र बेगाराम जाति जाट साकिन नोहर हाल निवास चक 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सीतादेवी पत्नी बेगाराम जाति जाट साकिन नोहर हाल निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. शंकरलाल पुत्र बेगाराम जाति जाट साकिन नोहर हाल निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सन्तोष पुत्री बेगाराम पत्नी रोहताश जाति जाट साकिन हाल आबाद मेहराना तहसील सिरसा जिला सिरसा
4. सावित्री पुत्री बेगाराम पत्नी विनोद कुमार जाति जाट साकिन हाल आवाद नहराना तहसील सिरसा जिला सिरसा
5. शारदा पुत्री बेगाराम पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन सिद्वार्थ कॉलोनी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 568 सन 2021 निर्णय दिनांक– 04/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 133/133 की कुल 18.4690हैक में से 1/5 हिस्सा भूमि बेगाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपने हक हिस्सा की भूमि को आगामी 3 वर्षो तक बेचान नही करेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner